Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 22-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 30, 2023 (JYAISTHA 9, 1945 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 मई, 2023

संख्या 12/2(25)/2019–5एफआर/16881.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) संशोधन नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम 19 जुलाई, 2016 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"4. वित्त विभाग द्वारा विभिन्न भत्तों का विनियमन।

इन नियमों के अधीन विभिन्न भत्तों के लिए हकदारी वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर, अधिसूचित दरों के अनुसार विनियमित की जाएगी और उस तिथि को देय होगी जब वह अर्जित की जाए:

परन्तु सरकारी कर्मचारियों के पद (पदों) की विभिन्न श्रेणियों के मूल वेतन और परिलब्धियों से सम्बन्धित भत्ते की विभिन्न दरों को विहित करने वाले इन नियमों के लागू होने की तिथि को विद्यमान अधिसूचनाओं के बावजूद, सामान्य वेतनमानों के पश्चातवर्ती संशोधन पर, जब तक वित्त विभाग संशोधित भत्ता विनिर्दिष्ट नई अधिसूचना जारी नही करता, जो उसमें यथा विनिर्दिष्ट तिथि से लागू होगी, सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतनमान दिये जाने बावजूद असंशोधित वेतन/प्रकल्पित मूल वेतन के आधार पर विभिन्न भत्ते प्राप्त करना जारी रखेंगे:

परन्तु यह और कि जहां सरकारी कर्मचारी लगातार असंशोधित वेतनमान के अधीन वेतन आहरित करते हैं और उन्होंने संशोधित वेतनमान के विकल्प का चयन नही किया है, या लागू नही किये गए है, ऐसा कर्मचारी इन नियमों के लागू होने की तिथि को विद्यमान असंशोधित वेतनमानों पर लागू अधिसूचना के अनुसार विभिन्न भत्तों की दरों पर वेतन प्राप्त करना जारी रखेगा:

परन्तु यह और कि ऐसे सीधी भर्ती/पदोन्नत कर्मचारी, जिन्होंने संशोधित वेतन नियमों के अधीन तत्संबंधी असंशोधित वेतनमान के तत्संबंधी संशोधित वेतनमान प्राप्त करने बावजूद, भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित वेतनमानों के सामान्य पुनरीक्षण की तिथि के मध्य और ऐसे संशोधित वेतन नियमों की लागू होने की तिथि के दौरान, नए प्रवेशकर्ता के रूप में सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण किया है या पदोन्नति प्राप्त की है, वे सामान्य वेतनमान के पुनरीक्षण के बाद वित्त विभाग द्वारा भत्ते/मकान किराया भत्ते को उपांतरित करने वाली नई अधिसूचना जारी किए जाने तक असंशोधित मूल वेतन या प्रकल्पित मूल वेतन के आधार पर भत्ते तथा मकान किराया भत्ता प्राप्त आहरित करेंगे तथा ऐसे उपातंरित भत्ते वित्त विभाग द्वारा यथा नियम तिथि से लागू होंगे।

परन्तु यह और कि हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 से सम्बन्धित अधिसूचना दिनांक 28 अक्तूबर, 2016 के जारी होने के बाद, वित्त विभाग द्वारा भत्तों को संशोधित करने वाली कोई भी अधिसूचना इन नियमों के नियम 5 के साथ पठित नियम 4 के अधीन जारी की गई समझी जाएगी। ऐसे यथा उपातंरित संशोधित भत्ते संशोधित वेतन नियमों के लागूकरण की तिथि को ध्यान में रखे बिना इसमे वर्णित तिथि से भुगतान होंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उपनियम (क) में, खण्ड (4) में, उपखण्ड ग में, (क) मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित पद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(i) संबंधित वेतन आयोग के अनुसार समय–समय पर संशोधित वेतनमान में मूल वेतन;";

(क) मद (ii) का लोप कर दिया जाएगा तथा दिनांक 22 अगस्त, 2019 से लोप किया गया समझा जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 14 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(3) मकान किराया भत्ते की दरें दिनांक प्रथम जनवरी, 2016 से 31 जुलाई, 2019 तक की अवधि को छोडकर, समय–समय पर, वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होंगी जो निम्नानुसार विनियमित होंगीः–

(i) सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रथम जनवरी, 2016 से 27 अक्तूबर, 2016 की अवधि के लिए आहरित मकान किराया भत्ते की संबधित राशि वही रहेगी जो विद्यमान (पूर्व–संशोधित) वेतन संरचना के अधीन पहले से ही आहरित की गई है;

(ii) सरकारी कर्मचारियों द्वारा 27 अक्तूबर, 2016 को यथा आहरित किए जा रहे मकान किराया भत्ते की संबंधित राशि 28 अक्तूबर, 2016 से 31 जुलाई, 2019 के बीच की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से देय होंगी अर्थात् मकान किराया भत्ता पूर्व–संशोधित वेतनमान के प्रकल्पित मूल वेतन पर आहरित किया जाएगा।

(iii) कर्मचारी जिन्होंने प्रथम जनवरी, 2016 की अवधि के दौरान और 31 जुलाई, 2019 के बीच पहली बार एक नई भर्ती के रूप में सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण किया है, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2008 तथा वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 10/46/2004–2एफआईसीडब्लयू, दिनांक 27 जनवरी, 2009 तथा 29 जुलाई, 2009 के अधीन अनुज्ञेय उनके सम्बन्धित पद (पदों) के पूर्व संशोधित वेतन संरचना के प्रकल्पित प्रवेश स्तर वेतन पर संगणित किए जाने वाले मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 15th May, 2023

No. 12/2(25)/2019-5FR/16881.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Amendment Rules, 2023.

(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from the 19th July, 2016.

2. In the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, (hereinafter called the said rules) for rule (4), the following rule shall be substituted, namely:-

"4. Regulation of different allowances by the Finance Department.-

Entitlement to various allowances under these rules shall be regulated as per rules and as per the rates notified by the Finance Department from time to time and payable on the date when the same earned:-

Provided that notwithstanding anything contained in these rules and notifications existing on the date of promulgation of these rules prescribing different rates of allowance co-related to basic pay and emoluments of different categories of the post(s) of Government employees, upon subsequent revision of general pay scales, Government employee shall continue to draw the different allowances on the basis of un-revised pay/presumptive basic pay irrespective of grant of revised pay scale retrospectively, till the Finance Department issues a new notification prescribing modified allowance, which shall be applicable from the date as notified therein.

Provided further that where a Government employee continuously draws pay under the un-revised pay scale and not opted the revised pay scale or the revised pay scales not made applicable, such employee shall continue to draw the rates of different allowances as per the notification applicable to unrevised pay scales in existence on the day of promulgation of these rules:

Provided further that such direct recruits/promotees who joined the Government service as a new entrant or gets promoted to the promotional post during the inter-regnum of date of general revision of pay scales revised retrospectively and promulgation of actual notification of such revised pay rules, irrespective of getting corresponding revised pay scale of the corresponding un-revised pay scale under the revised pay rules, he shall draw the allowances and House rent Allowance on the basis of un-revised basic pay or presumptive basic pay till the Finance Department issues fresh notification modifying the allowances/House Rent Allowance after the revision of general pay scale and such modified allowances shall be payable from the date as fixed by the Finance Department.

Provided further that any notification issued by the Finance Department revising allowances after the issuance of notification dated 28.10.2016 pertaining to Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016 shall be deemed to be issued under this rule read with rule 5. Such revised allowances as modified shall be payable from the date mentioned therein irrespective of date of applicability of the revised pay rules.

3. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (a), in clause (4), in sub-clause (c), (a) for item (i), following item shall be substituted namely:-

"(i) basic pay in the pay scale revised from time to time in accordance with respective pay commission; and

(b) item (ii) shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 22nd August, 2019."

4. In the said rules, in rule 14 for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (3) The rates of House Rent Allowance shall be as per notification issued by the Finance Department from time to time except for the period from the 1st January, 2016 to the 31st July, 2019, which shall be regulated as under:-

(i) The respective amount of House rent Allowance drawn by the Government employees for the period from 1st January, 2016 to 27th October, 2016 shall remain the same as already drawn under existing (pre-revised) pay structure;

(ii) The respective amount of House rent Allowance being drawn by the Government employees as on the 27th October, 2016 shall remain payable invariably for the period between the 28th October, 2016 to the 31st July, 2019 i.e. House rent Allowance shall be drawn on the presumptive basic pay of the pre-revised pay scale.

(iii) The employees who have joined the Government service as a fresh recruit/ at the first instance during the period the 1st January, 2016 and between 31st July, 2019 shall be entitled to the House rent Allowance to be calculated at the presumptive entry level pay of the pre-revised pay structure admissible under the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2008 and the instructions No. 10/46/2004-2FICW dated the 27th January, 2009 and dated the 29th July, 2009 issued by the Finance Department, of their respective post.".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

10354—C.S.—H.G.P., Pkl.